अमेरिका – कांग्रेस
इजराइल → नेसेट
जापान → डायट
ब्रिटेन की पार्लियामेंट

भाग – 6 (79-122)

* संसद *
(अनुच्छेद – 79)

संसद
- राष्ट्रपति (अनुच्छेद-52)
- दो सदन
  - राज्यसभा (अनुच्छेद 80)
  - लोकसभा (अनुच्छेद – 81 व 83)

– अनुच्छेद-79 के अनुसार भारत की एक संसद होगी। जिसका गठन 1 राष्ट्रपति व दो सदनों राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर होगा।

– संसद के 3 अभिन्न अंग है–
1. राष्ट्रपति 52
2. राज्यसभा 80
3. लोकसभा 81

– संसद के दो सदन है – 1. राज्य सभा 2. लोकसभा

– संसद कभी भी एक साथ भंग नहीं है केवल लोकसभा होती है।

– अनुच्छेद 85 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। तथा प्रत्येक 5 वर्ष में तो निश्चित रूप से करता है।

– संसद ही देश की व्यवस्थापिका / विधायिका है।
– इसका कार्य कानूनो / विधि का निर्माण करना है।

* राज्यसभा * (अनुच्छेद -80)

- अनुच्छेद-80 में राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्यों का प्रावधान किया गया है।

- राज्यसभा संसद का उच्च, द्वितीय, स्थायी एवं राज्यों का सदन है।

- राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है जिनमें 238 सदस्य राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों से चुने जाने तथा 12 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान है।

- वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या – 245 है।
इसमें – 233 – राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य – राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्रों से मनोनीत किये जाते हैं।

- 233 में 229 राज्यों से व 4 केन्द्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। (दिल्ली से 3 व पुडुचेरी से 1)

* चुनाव :→
राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।

* चुनाव की विधि :→ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

Note →* भारत में सभी चुनावों में गुप्त मतदान होता है केवल राज्यसभा ऐसा सदन है जिसके सदस्यों के चुनाव में खुला मतदान होता है।

* योग्यता → 1. 30 वर्ष की आयु प्राप्त हो।

* कार्यकाल → 1. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
2. राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है क्योंकि यह एक स्थाई सदन है जो कभी भी एक साथ भंग नहीं होता।
3. इसलिए इसके प्रत्येक 2 वर्ष में $\frac{1}{3}$ सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते है तथा उनकी जगह $\frac{1}{3}$ नये चुन लिए जाते है। $\frac{2}{3}$ सदा बने रहते है।

* त्यागपत्र → सभापति को देते है।

* शपथ → सभापति दिलाता है।

* महत्वपूर्ण तथ्य :→

1. राज्यसभा सदस्यो के चुनाव तथा योग्यता / अयोग्यता संबंधी विवाद पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करता है।

2. राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है।

3. राज्य सभा प्रथम बार गठन – 3 अप्रैल 1952 को हुआ था।

4. राज्यसभा *एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति सदन का सदस्य नहीं होता। सभापति पदेन सभापति होता है।

5. राजस्थान से राज्यसभा में* 10 सदस्य चुने जाते है तथा सर्वाधिक 31 उत्तरप्रदेश से चुने जाते है।

* राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति (अनुच्छेद-89)
(निर्वाचित)

→

- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
- उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है।
- सभापति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।
- उपसभापति को शपथ सभापति दिलाता है।
-
- सभापति त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।
- उपसभापति त्यागपत्र सभापति को देता है।

- सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

- उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

* सभापति की प्रमुख शक्तियाँ → / कार्य

1. राज्यसभा की बैठके बुलाता है।
2. बैठकों का सभापतित्व करता है।
3. बैठकों को स्थगित करता है।
4. अनुशासनहीनता करने वाले सदस्यों पर कारवाई करता है।

5. कोई भी सदस्य लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है।

6. राज्यसभा में किसी विधेयक पर बराबर मत आने पर सभापति निर्णायक मत नहीं देता।

7. सभापति की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग उपसभापति करता है।

साधारण विधेयक, स. संशोधन विधेयक — किसी भी सदन में
धन, बिल विनियोग विधेयक — लोकसभा

वर्तमान सभापति - एम. वैंकेया नायडू (उपराष्ट्रपति)
वर्तमान उपसभापति - हरिवंश नारायण सिंह

* राज्यसभा की शक्तियाँ →

1. साधारण शक्तियाँ → 2.

1. साधारण विधेयको एंव संविधान संशोधन विधेयको के संबंध में संसद के दोनो सदनो की शक्तियाँ समान है यह विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किये जा सकते है एक सदन से पारित होने के बाद दुसरे में जाते है तो उसे 6 माह का समय दिया जाता है, तथा दोनो सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन जाता है
- प्रथम सदन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है परन्तु यदि दुसरा सदन 6 माह में पारित नही करता है तो विधेयक, समाप्त हो जाता है

2. धन बिल एंव विनियोग विधेयको के संबंध राज्यसभा की शक्ति अत्यन्त कमजोर है लोकसभा शक्तिशाली है यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते है तथा इन्हे पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है और यदि पारित नही करे तो स्वत: ही पारित समझ लिये जाते है

2. विशेष शक्तियाँ → 2.

*1. अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को राज्यसूची के विषयो को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की विशेष शक्ति प्राप्त है

आंग्ल भारतीय - युरोपिय मूल + भारतीय मूल

राज्यसभा का गठन = 3 अप्रैल 1952
लोकसभा का गठन = 17 अप्रैल 1952

वर्तमान 17वी लोकसभा - प्रोटेम स्पीकर / अंतरिम अध्यक्ष (2019) - वीरेन्द्र कुमार (ठकाल)

वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष - ओमबिरला   प्रथम लोकसभा अध्यक्ष - G.V मावलंकर (गणेश वासुदेव मावलंकर)

जिनसे की उस विषय पर कानून संसद बना सके।

2. ★ अनुच्छेद 312 → में नई अखिल भारतीय सेवा (3) के गठन का प्रावधान करने की विशेष शक्ति प्राप्त है।
IAS, IPS, IFS (इंडियन फोरेस्ट सर्विस)
(IMS - इंडियन मेडिकल सर्विस) नई बन सकती है

★ लोकसभा ★

(अनुच्छेद 81 व 331)

- अनुच्छेद - 81 में लोकसभा के निर्वाचित अनुच्छेद 331 में मनोनित सदस्यों का प्रावधान है।

- प्रथम, निम्न, लोकप्रिय व अस्थायी, जनता का सदन है।

- लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है इनमे 530 राज्यो से + 20 केन्द्रशासित प्रदेशो से चुने जाने व 2 सदस्य मनोनित करने का प्रावधान है।

- वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है इसमे 530 राज्यो + 13 केन्द्रशासित प्रदेशो से एवं 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्लभारतीय समुदाय से मनोनित किये जाते है।

अधिकतम 552 = 530 + 20 + 02
वर्तमान 545 = 530 + 13 + 02 (543 निर्वाचित + 2 मनोनित)

★ चुनाव → लोकसभा के सदस्यो का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

★ विधि → बहुमत मतदान पद्धति / साधारण बहुमत पद्धति।
(First Past the post System.)

सबसे अधिक लोकसभा सीटें – U.P – 80
वर्तमान में SC के लिए लोकसभा में → 84 सीटें
ST – 47 सीटें

न्यूनतम उम्र

35 वर्ष	30 वर्ष	25 वर्ष	21 वर्ष
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल	राज्यसभा विधानपरिषद	लोकसभा विधानसभा	स्थानीय निकाय

* योग्यता – 25 वर्ष

* कार्यकाल → लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

* त्यागपत्र → लोकसभा अध्यक्ष को देते है।

* शपथ → प्रोटेम स्पीकर / अंतरिम अध्यक्ष दिलाता है।
– लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा किसी एक वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तथा इसे शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है।

- यह लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है।
- यह लोकसभा के प्रथम सत्र की बैठको की अध्यक्षता करता है तथा नये लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है।
- इसका कार्यकाल शून्य होता है।
- 17 वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर डॉ वीरेन्द्र सिंह थे।

* महत्वपूर्ण तथ्य →

- लोकसभा सदस्यों के चुनाव तथा योग्यता / अयोग्यता संबंधी विवाद पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करता है।

- लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
- राष्ट्रीय आपात लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। (अनुच्छेद – 71)

- लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ

*लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए दल को कुल सीटों का 10% सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है।

*राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य चुने जाते हैं तथा सर्वाधिक 80 उत्तरप्रदेश से चुने जाते हैं।

- लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है।
- लोकसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा।
- लोकसभा के वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ।
- संसद के दोनों सदनों की *गणपूर्ति $\frac{1}{10}$ या 10% होती है। अनुच्छेद - 100
- प्रथम लोकसभा अध्यक्ष - G.V. मावलंकर थे।
  वर्तमान में 17 वीं लोकसभा है। (मई 2019)

* लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) और उपाध्यक्ष (डिप्टीस्पीकर) (अनुच्छेद 93) →

- इन दोनों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है।
- यह दोनों ही अपने पद की शपथ नहीं लेते।
- ये दोनों ही त्यागपत्र एक-दूसरे को देते हैं।
- *इनका कार्यकाल नई लोकसभा के गठन तक होता है।

* लोकसभा अध्यक्ष की प्रमुख शक्तियाँ :→

- लोकसभा की बैठकें बुलाता है।
- बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- बैठकों को स्थगित करता है।
- अनुशासनहीनता एवं दल-बदल करने वाले सदस्यों पर कार्यवाही करता है।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसे प्रमाणित करता है।
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।

16 वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर → कमलनाथ
5 वीं लोकसभा का कार्यकाल → 6 वर्ष का
स्वतंत्र भारत में संयुक्त बैठक → 3 बार (108 अनु.)

3 संयुक्त बैठक → 1961 दहेज निरोधक विधेयक के संबंध
1978 - बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक संबंध में
2002 → आतंकवाद निरोधक विधेयक (पोटा) के संबंध
[अटल बिहारी वाजपेयी ने तीनों अधिवेशन में भाग]

- किसी भी विधेयक पर बराबर मत आने पर वह निर्णायक मत देता है
- लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर सकता है
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष करता है
  वर्तमान अध्यक्ष — ओमबिरला (2019)
  वर्तमान उपाध्यक्ष —

* लोकसभा की शक्तियाँ →

1. साधारण शक्तियाँ(2) → राज्यसभा की दो साधारण शक्तियाँ ही लोकसभा की भी दो साधारण शक्तियाँ हैं।

2. विशेष शक्तियाँ (4) →

1. प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी / जवाबदेह होते हैं। अर्थात उन पर नियंत्रण लोकसभा रखती है।

2. लोकसभा सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को पद से हटा सकती है।

3. देश के धन (अनु-110 (धन विधेयक परिभाषा)) / वित्त पर नियंत्रण भी लोकसभा रखती है।

4. केन्द्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव एवं काम रोको (स्थगन) प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत एवं पारित किये जाते हैं।

Note → * अविश्वास एवं कटौती प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।

(धन विधेयक के पारित करने की प्रक्रिया — अनु. 112 - 117 तक)

(प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 24 अगस्त 2019 को दुबई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "आर्डर ऑफ द जायद" दिया)

* संसद की कार्यवाही के नियम *

1 प्रश्नकाल → (11-12 बजे)

1. ~~तारांकित प्रश्न~~ – संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। इसमें संसद सदस्य प्रश्न पूछते है तथा मंत्री इनका उत्तर देते है।

प्रश्न निम्न 3 प्रकार के होते है →

1. तारांकित प्रश्न* → इनका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है इसमे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते है।

2. अतारांकित प्रश्न → इनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है इनमे पूरक प्रश्न नही पूछा जा सकता है।

3. अल्पसूचना प्रश्न → यह राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पूछे जाते है इनका उत्तर 10 दिन के भीतर देना होता है। ये *तारांकित होते है।

2. शून्य काल (12-1 बजे) →

1. इस काल की कार्यवाही पूर्व निर्धारित नही होती है।

2. इस काल में राष्ट्रीय महत्व के विषयो पर चर्चा होती है तथा प्रश्न भी पूछे जाते है। परन्तु इस काल में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नही होते।

MPLADS → सांसद निधि → 1993-1993 → कोई भी सांसद 50 क पी की नरसिंहाराव ↓ सांख्यिकी व क्रियान्वयन

केन्द्रीय वर्तमान वित्तमंत्री - निर्मला सीतारमण (2019)

संसद के सदनों की प्रथम बैठक तथा प्रथम सत्र की शुरुआत - 13 मई 1952

* संसद का सत्र / अधिवेशन * (अनुच्छेद - 85)

* संसद का वर्ष में 2 बार सत्र / अधिवेशन होना अनिवार्य है। तथा दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
परन्तु वर्तमान निम्न 3 सत्र बुलाए जाते हैं

→ 1. बजट सत्र (फरवरी से मई) 2. मानसून सत्र (जुलाई से सितम्बर) 3. शीतकालीन सत्र (नवम्बर से दिसम्बर)

- ये सत्र / अधिवेशन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति बुलाता है।
- संसद के दोनों सदनों की प्रथम बैठक तथा संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत 13 मई 1952 को हुई थी।

* संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक * (अनुच्छेद - 108) →

* दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। यह केवल साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर बुलाई जाती है।

* इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। तथा इन दोनों की अनुपस्थिति में राज्य सभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है।

* संसद की समितियाँ →

1. लोकलेखा समिति :→ इसमे कुल 22 सदस्य होते हैं
1921 15 लोकसभा व 7 राज्यसभा के होते हैं

लोकसभा

जी-7 सम्मेलन 24-26 अगस्त 2019 फ्रांस के बियारिट्ज शहर में आयोजित

केन्द्र में प्रथम गठबंधन सरकार -1977 में

संयुक्त संसदीय समिति → 5 बार
2:1

- इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
- यह संसद* की सबसे प्रमुख समिति है।
- इसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है।
- इसे जनता के धन / सार्वजनिक धन की "संरक्षक समिति" माना जाता है।

- इसका कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का तथा इसके माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा किये जाने वाले खर्चों के लोकलेखाओं का परीक्षण करना होता है।

वर्तमान अध्यक्ष →

2. प्राक्कलन / आंकलन समिति → अनुमान 1950

- इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। ये सभी लोकसभा के होते हैं।

- इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
- इसे "लोकसभा की समिति" भी कहा जाता है।
- इसका कार्य केन्द्र सरकार के द्वारा किये जाने वाले खर्चों का नीतिगत आधार पर आंकलन / अनुमान लगाना है। बजटीय अनुमानों की जाँच

वर्तमान अध्यक्ष →

Note → इन दोनों समितियों को "जुड़वा बहनें" कहते हैं।

(3) सार्वजनिक / लोक उपक्रम समिति → 1964 कृष्णा मेनन सुझाव

22 → 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा

→ विभागीय समितियाँ → 16 अध्यक्ष द्वारा
नरसिम्हा राव → 24 → प्रत्येक -31
21 लोक
10 राज्य